मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

क्रमांक एफ–58–01/2009/तीन/1271 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रति,

सचिव,
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2009 हेतु दिनाँक 11 एवं 14–12–2009 एवं दिनांक 15 एवं 17–12–2009 को विद्युत का निर्बाध प्रदाय बाबत्।

---0---

महोदय,

आयोग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों **अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (परिशिष्ट–एक)** में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 10/11/2009 को जारी किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान दो चरणों में अर्थात् दिनांक 11/12/2009 एवं दिनांक 14/12/2009 तथा मतगणना दिनांक 15/12/2009 एवं दिनांक 17/12/2009 को होना निर्धारित है ।

अतः अनुरोध है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन –2009 हेतु मतदान दिनांक 11/12/2009 एवं दिनांक 14/12/2009 तथा मतगणना दिनांक 15/12/2009 एवं दिनांक 17/12/2009 को विद्युत निर्बाध प्रदाय हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

कृपया आपके स्तर से जारी निर्देश की एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अनुपम राजन)
सचिव
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक–0755–2555527

पृ.क्रमांक एफ–58–01/2009/तीन/1272 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
(2) आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन, भोपाल ।
(3) सचिव, म.प्र. विद्युत मण्डल, रामपुर, जबलपुर, (म.प्र.)
(4) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला समस्त (बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, मण्डला, डिण्डौरी एवं अनूपपुर को छोड़कर) (म.प्र.)

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल